



दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिए

(मुख्य वितरण का विभाग)

ठजी मन्दि, 220 कोटी० समृद्धि, आगरा बाईपास रोड, फिल्डस, आगरा (उत्तराखण्ड)
फ़ोन - ०५२२ २६०५६९९, फैक्स - ०५२२ २६०५६६५

उ० प्र० सरकार का उपक्रम

पत्रांक:- /प्र०नि०/आ०/का०अनु०/अन्य

दिनांक:- /नवम्बर/ 2018

कार्यालय शाप

एतद्वारा निर्देशित किया जाता है कि सभी वाणिज्यिक एवं औद्योगिक इकाईयों को विद्युत संयोजन निर्गत करने से पूर्व संम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (यथावश्यक) प्राप्त करने के उपरान्त ही संयोजन निर्गत किया जाये। सामान्य प्रकरणों में निम्नलिखित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है:-

- 1 विद्युत सुरक्षा विभाग
- 2 अग्नि शमन विभाग
- 3 संम्बन्धित विकास प्राधिकरण
- 4 संम्बन्धित प्रदूषण नियन्त्रक प्राधिकारी
- 5 अन्य संम्बन्धित इकाई/विभाग

ताज ट्रिपीजियम जोन में यथाप्रभावी अनिवार्य शर्तों के अनुपालन अनुसार ही संम्बन्धित इकाईयों द्वारा विद्युत संयोजन निर्गत किया जाना है।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि यथावश्यक प्रत्येक विभाग द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र का सामान्य सत्यापन संम्बन्धित विभाग के स्तर से कराया जाना अपेक्षित है।

यदि पूर्व में कोई वाणिज्यिक/औद्योगिक इकाई को अथवा ताज ट्रिपीजियम क्षेत्र में किसी इकाई को विद्युत संयोजन प्रतिवन्धित शर्तों के अधीन (यथाप्रभावी) निर्गत किया गया है, तो निर्धारित समय अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त अथवा प्रतिवन्ध की शर्तों का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में विभागीय नियम अनुसार निर्गत विद्युत संयोजन के विच्छेदन की कार्यवाही की जाये, ताकि किसी भी विद्युत दुर्घटना/विपरीत परिस्थिति से सुरक्षा संग्रह हो सकें।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक:- १३६५५/प्र०नि०/आ०/का०अनु०/अन्य तददिनांक १६/११/२०१८

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक (तकनीकी/वाणिज्य/पिता/प्रशासा), द०वि०वि०नि०लि०, आगरा।
2. मुख्य अधियन्ता (तकनीकी/वाणिज्य/सामग्री प्रबन्धन/प्रशासा), द०वि०वि०नि०लि०, आगरा।
3. मुख्य अधियन्ता (वितरण), आगरा-प्रथम/द्वितीय/अलीगढ़/कानपुर/झाँसी/वैदां।
4. समस्त अधीक्षण अधियन्ता विद्युत वितरण मण्डल/विद्युत नगरीय वितरण मण्डल _____।
5. समस्त अधिकारी अधियन्ता विद्युत वितरण दाप्त/विद्युत नगरीय वितरण दाप्त _____।
6. अधीक्षण अधियन्ता (आई०टी०) द०वि०वि०नि०लि०, आगरा को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(एस०क० वर्मा)
प्रबन्ध निदेशक